केस संख्या :- 275/2023

गुलशन बनाम सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता सुरेश कुमार शर्मा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 14.06.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
14.06.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादीगण विवादित भूमि खाता संख्या 47 में खसरा नंबर 989, 990, 993, 994 कुल किता 04 कुल रकबा 1.76 है0 तथा खाता संख्या 223 मे खसरा नंबर 1023, 1024, 1025, 1028, 1031, 1032 कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम ठिकरिया मीणान् तहसील कोटखावदा मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का नाम गिर्राज प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण व सुरजन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम गुलशन कुमार, सूरज कुमार पिता बाबूलाल जाति मीना दर्ज होना बताया है। प्रार्थी / वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी की क्रय की हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में गिर्राज प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण व सुरजन पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि गुलशन कुमार, सूरज कुमार पिता बाबूलाल नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि गिर्राज प्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण व सुरजन पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं गुलशन कुमार, सूरज कुमार पिता बाबूलाल एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गुलशन कुमार, सूरज कुमार पिता बाबूलाल दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर) चाकसू(जयपुर)	